प्रकीर्ण वाद संख्या- २४९/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. १४१/२०१९)
अवधेश बनाम राकेश कुमार आदि
३०.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची अवधेश द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका न्यायाधिकरण द्वारा लोक अदालत में निर्णीत की जा चुकी है तथा न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹ ५,९५,००० न्यायाधिकरण में जमा की जा चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उक्त जमाशुदा धनराशि प्रार्थी के पक्ष में दिलाए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जाय। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२ व अपने बैंक खाते की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. १४१/२०१९ अवधेश कुमार बनाम राकेश कुमार साहू आदि की पत्रावली, प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है। एम.ए.सी.पी. सं. १४१/२०१९ की पत्रावली के अवलोकन से विदित हाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में एम.ए.सी.टी./अपर जिला जज, न्यायालय सं. ८, झाँसी द्वारा **संधिपत्र** के आधार पर दिनाँक २१.०९.२०१९ को ₹ ९,९५,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से ₹ २,९५,००० याची अवधेश को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से नकद प्राप्त होनी है तथा शेष प्रतिकर धनराशि ₹ ३,००,००० याची के भविष्य व वृद्धावस्था को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत ३ वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में जमा की जानी है, जिस पर किसी प्रकार का ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक १६१ पर संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा सिंडीकेट बैंक गोविन्द चौराहा झाँसी में Bank Reference number : N336201323799787 से ₹ **५,९५,०००** जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थी द्वारा अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रति दाखिल की गयी है। अतः मेरे विचार से प्रार्थी प्रकरण में जमाशुदा धनराशि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश अनुपालन में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद व एफ.डी.आर. के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

सिंडीकेट बैंक (केनरा बैंक) शाखा गोविन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. १४१/२०१९ (प्रकीर्ण वाद सं. २४९/२०२० अवधेश कुमार बनाम राकेश कुमार आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थी को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursme nt	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Abdhesh Kumar	300000	50.42	FD for 3 Years. No any Loan Allowed	___	Any Nationalize d Bank	____
1. Abdhesh Kumar	295000	49.58	Elect. Mode RTGS/NEFT	923520100 11015	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009 235
Total	595000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.30 12:42:22 IST
Reason: PO
Location: MACT Jhansi